बिहार सरकार
ग्रामीण कार्य विभाग

अधिसूचना

अ०सं० :–3/अ0प्र0–1–166/2019(पार्ट) 534 /पटना, दिनांक :– 19.2.24

श्री अमरेन्द्र कुमार, तदेन सहायक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, बेतिया सम्प्रति सेवानिवृत्त द्वारा कार्य प्रमंडल, बेतिया के अधीन L0-141 थवईया–सिखईया पथ निर्माण कार्य में भुगतान के विरूद्ध कम कार्य कराने, स्वीकृत प्राक्कलन के विपरीत एवं विशिष्टयों के अनुरूप कार्य नहीं कराने के आरोप में श्री कुमार को विभागीय अधिसूचना संख्या–42–सह–पठित ज्ञापांक 43 अनु0 दिनांक 03.01.2020 द्वारा बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के नियम 9(1)(क) के तहत तत्काल प्रभाव से निलंबित किया गया एवं श्री कुमार के विरूद्ध मुख्य अभियंता–2, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना के अधीन विभागीय अधिसूचना संख्या–1003 सह पठित ज्ञापांक–1004 दिनांक 28.05.2020 द्वारा विभागीय कार्यवाही संचालित की गयी।

2. मुख्य अभियंता–2–सह–संचालन पदाधिकारी, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना के पत्रांक–891 दिनांक 18.02.2021 से प्राप्त जॉच प्रतिवेदन के आलोक में श्री कुमार को विभागीय अधिसूचना संख्या–105 सह–पठित ज्ञापांक–106 दिनांक 21.01.2022 द्वारा तत्काल प्रभाव से निलंबन से मुक्त किया गया।

3. श्री कुमार के संदर्भ में मुख्य अभियंता–2–सह–संचालन पदाधिकारी, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना के पत्रांक–891 दिनांक 18.02.2021 से प्राप्त जॉच प्रतिवेदन की समीक्षा अभियंता प्रमुख, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना से करायी गयी। अभियंता प्रमुख, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना द्वारा संचालन पदाधिकारी के प्रतिवेदन से सहमत होते हुए श्री अमरेन्द्र कुमार, सहायक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, बेतिया द्वारा कार्य प्रमंडल, बेतिया को आरोप मुक्त किये जाने का मंतव्य दिया गया है।

4. अभियंता प्रमुख, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना से प्राप्त उक्त मंतव्य के आलोक में मामले की समग्र समीक्षा की गयी एवं समीक्षोपरान्त प्राप्त मंतव्य से सहमत होते हुए श्री अमरेन्द्र कुमार, तदेन सहायक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, बेतिया सम्प्रति सेवानिवृत्त को आरोप मुक्त करने के प्रस्ताव पर सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त किया गया है।

5. अतएव उक्त के आलोक में प्रश्नगत मामले में श्री अमरेन्द्र कुमार, तदेन सहायक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, बेतिया सम्प्रति सेवानिवृत्त को आरोप मुक्त किया जाता है।

श्री कुमार के निलंबन अवधि का विनियमन पर निर्णय बाद में लिया जायेगा।

बिहार राज्यपाल के आदेश से
16/02/24
(डा0 फातेह फैयाज)
संयुक्त सचिव

ज्ञापांक:– 3/अ0प्र0–1–166/2019(पार्ट) 535 /पटना, दिनांक :– 19.2.24

प्रतिलिपि:– प्रभारी पदाधिकारी, ई–गजट कोषांग, वित्त विभाग, बिहार, पटना को बिहार राजपत्र में प्रकाशनार्थ(आई0टी0 मैनेजर, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना के माध्यम से)/ महालेखाकार(ले0 एवं ह0) बिहार, पटना/प्रधान सचिव, मुख्यमंत्री सचिवालय/अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव, जल संसाधन विभाग/पथ निर्माण विभाग/भवन निर्माण विभाग/योजना एवं विकास विभाग/वित्त विभाग/लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग/माननीय मंत्री के आप्त सचिव, ग्रामीण कार्य विभाग/ संबंधित प्रमंडलीय आयुक्त / सचिव/ अपर सचिव, ग्रामीण कार्य विभाग के आप्त सचिव /जिला

कृ0पृ0उ0

पदाधिकारी, बेतिया/मुजफ्फरपुर/उप विकास आयुक्त, बेतिया/ कोषागार पदाधिकारी, निर्माण भवन, पटना/ कोषागार पदाधिकारी, बेतिया/मुजफ्फरपुर/ सभी मुख्य अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना/अधीक्षण अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य अंचल, बेतिया/मुजफ्फरपुर/कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, क्षेत्रीय प्रयोगशाला, मुजफ्फरपुर एवं बेतिया/प्रशाखा पदाधिकारी–12, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना/ प्रशाखा पदाधिकारी–5, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना/आई0टी0 मैनेजर, ग्रामीण कार्य विभाग को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु/श्री अमरेन्द्र कुमार, तदेन सहायक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, बेतिया सम्प्रति सेवानिवृत्त स्थायी पताः– मो0–बेलिसराय, जिला स्कूल के निकट, मोतिहारी, पूर्वी चम्पारण, पिनकोड–845401 मोबाईल संख्या–9631725087 को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

16/04/24

संयुक्त सचिव

25